प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य
डाईट गुडगांव, महेन्द्रगढ, मोहडा (अम्बाला), कैथल, पानीपत, मात्रशाम (हिसार), बिरही कलां (भिवानी), मदीना (रोहतक), बीसवांमील (सोनीपत) रेवाडी, ।

यादी कमांक 2/36–2012 एच0आर0एम0–1(1)
दिनांक, पंचकूला 3-12-12

विषय नवनियुक्त एस0एस0 अध्यापकों की काउंसलिग बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के यादी कमांक 2/36–2012 एच0आर0एम0–1(1) दिनांक 2.11.2012 तथा स्मरण पत्र दिनांक 8.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012 तथा 23.11.2012 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त मामले में लिखा जाता है कि नवनियुक्त एस0एस0 मास्टरो को दिनांक 14.12.2012 से 15.12.2012 तक विद्यालय अलॉट करने हेतू करवाई जानी वाली काउसंलिग स्थगित करते हुए उसे अब 03.01.2013 तथा 04.01.2013 को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–15, पंचकूला में ही करवाई जानी है। काउसंलिग का स्थान नियम तथा शर्ते यथावत रहेगीं। अत आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त एस0एस0 अध्यापकों को निर्देश दे कि वे उक्त तिथि व समय अनुसार काउसंलिग हेतु उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त नवनियुक्त अध्यापको को यह भी निर्देश दे की वे अपने चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन पत्र तीन–तीन प्रतियों में भरकर साथ लायें। **इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि एस0एस0 मास्टर की जो ट्रैनिगं दिनांक 19.11.2012 से शुरु हुई थी वह दिनांक 10.01.2013 तक चलेगी।** सभी विवरण निदेशालय की वैबसाईट www.schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक निदेशक मास्टर
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक सम **दिनांक पंचकूला** 3-12-12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
4. नवनियुक्त एस0एस0 मास्टर।

सहायक निदेशक मास्टर
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य
डाईट मात्रशाम (हिसार), बीसवांमील (सोनीपत)
रेवाडी, ।

यादी कमांक 2/36–2012 एच0आर0एम0–1(1)
दिनांक, पंचकूला 3-12-12

विषय **जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण बारे।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के यादी कमांक 2/36–2012 एच0आर0एम0–1(1) दिनांक 2.11.2012 तथा स्मरण पत्र दिनांक 8.11.2012, 16.11.2012 तथा 03.12.2012 के संदर्भ में।

उपरोक्त मामले में लिखा जाता है कि सलंग्न सूची में अकिंत नवनियुक्त एस0एस0 मास्टर को प्रशिक्षण करने की अनुमति दें। उम्मीदवारों के विवरण निदेशालय की वैबसाईट www.schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक निदेशक मास्टर
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक सम **दिनांक पंचकूला** 3-12-12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
4. नवनियुक्त एस0एस0 मास्टर।

सहायक निदेशक मास्टर
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

LIST OF NEWLY SELECTED S.S. MASTERS, ADVT. NO. 4/2009, CATEGORY NO. 5

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	67	9416	General, M 04.06.1984	Sunil Kumar S/o Prahlad Rai	C/o Ram Kumar/ Dharampal Shop No. 67, New Anaj Mandi, Sirsa	DIET Mattarsham (Hisar)	
2.	83	3264	General, F 04.04.1976	Saroj S/o Samay Singh	# 19/27 Prem Nagar, Kakroi Road, Behind Ambedkar Hostal, Sonipat	DIET Bishwameel (Sonipat)	
3.	259	9762	SC, M, 26.12.1982	Parveen Kumar S/o Ramphal Ranga	H.No. 576, Sector 12 Part-II, Sonipat	DIET Bishwameel (Sonipat)	
4.	372	2061	SC, F, 15.12.1980	Hemlata Kataria D/o Daya Nand Kataria	W/O Pawan Kumar Village Dhanirwas PO Salhawas, Jhajjar	DIET Rewari	

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला

आदेश क्रमांक 2/36–2012 एच.आर.एम–1(1) दिनांक 03.12.2012

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला के पत्रांक एच.एस.एस.सी./गोपनीय/ सिफारिश/ 2010/12 दिनांक 06.06.12 के अनुसार निम्नलिखित नव चयनित सामाजिक अध्ययन अध्यापक उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (समूह– 'ग') सेवा नियम, 2012 के तहत वेतन समूह (9300–34,800) रूपये + 4600/–रूपये मानक (ग्रेड) वेतन + निर्धारित भत्ते जोकि हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किए जाते हैं, के अनुसार निम्नवर्णित शर्तों एंव नियमों के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है:–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	67	9416	General	M	Sunil Kumar	Prahlad Rai	C/o Ram Kumar/ Dharampal Shop No. 67, New Anaj Mandi, Sirsa	Sirsa	04.06.1984	
2.	83	3264	General	F	Saroj	Samay Singh	# 19/27 Prem Nagar, Kakroi Road, Behind Ambedkar Hostal, Sonipat	Sonipat	04.04.1976	
3.	259	9762	SC	M	Parveen Kumar	Ramphal Ranga	H.No. 576, Sector 12 Part-II, Sonipat	Sonipat	26.12.19821	
4.	372	2061	SC	F	Hemlata Kataria	Daya Nand Kataria	W/O Pawan Village Dhanirwas PO Salhawas, Jhajjar	Jhajjar	15.12.1980	

नियम व शर्ते

1. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अनियमित प्रकृति की है।
2. यह नियुक्ति अस्थायी पद के विरूद्ध है। इस पद की पुष्टि अभ्यर्थी की वरीयता व उसके सेवाकालीन प्रदर्शन तथा पद की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
3. अभ्यर्थी को भारत के संविधान की अनुपालना की शपथ लेनी होगी।
4. अभ्यर्थी, यदि विवाहित है, को नियुक्ति के समय एक जीवित पति/पत्नी का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. इस आदेश को किसी भी प्रकार की वरीयता निर्धारण का आधार नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों की वरीयता विभागीय नियमों व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
6. अभ्यर्थी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा। इस परिवीक्षा अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा, यदि आवश्यक हुआ, एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी यदि आरक्षित श्रेणी का है तो उसकी नियुक्ति उसके आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग ए व बी या भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग आदि) के दावे के सत्यापन के अनुसार ही होगी। यदि सत्यापन प्रकिया के दौरान पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र झूठे या जाली हैं तो उसकी सेवायें बिना किसी कारण को दर्शाते हुए समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त वह भारतीय दण्ड संहिता व अन्य संबंधित विधि विधानो के अनुसार सजा का पात्र भी होगा।
8. अभ्यर्थी अपने निर्धारित पद पर नियुक्ति लेते समय संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों को जमा कराएगा। संबंधित जिला

मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यताएं रखता है एवं उसके मूल प्रमाण पत्र फोटो प्रतियों से मेल खाते हैं।

9. अभ्यर्थी नियुक्ति के समय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपना चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

10. अभ्यर्थी की सेवायें हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (समूह ग) सेवा नियम, 2012 द्वारा शासित होंगी।

11. यदि अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के अस्थायीकाल के दौरान पद त्याग करना चाहता है तो उसे एक महीने का स्पष्ट नोटिस या इसके बदले में सभी भत्तों सहित एक महीने का वेतन या एक महीने के नोटिस में दिनों की कमी के बराबर भत्तों सहित वेतन को जमा करवाएगा बशर्ते सेवा नियमों की अन्य शर्तें पूरी होती हों। इस प्रकार के नोटिस सरकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को भी जारी किये जा सकेंगे जिनसे उनकी भत्तों सहित एक महीने का वेतन या एक महीने से कम दिनों, जितने नोटिस देने के लिए आवश्यक थे, का भत्तों सहित वेतन वसूली के लिए आवश्यक है।

12. इस नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

13. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र उनके द्वारा सम्मिलित शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों के आधार पर जारी किये गए हैं। अतः उनकी नियुक्ति मूल दस्तावेजों के सत्यापन की शर्त अनुसार है। यदि नियुक्ति की प्रकिया के दौरान या पश्चात यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी के द्वारा ली गई नियुक्ति का आधार उसके द्वारा जमा करवाये गए झूठे या जाली प्रमाण पत्र या असत्य सूचना या तथ्य के आधार पर है तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस या सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार भी विहित दण्ड का भागी होगा।

14. अन्य मामलों में जो कि यहां वर्णित नहीं है, अभ्यर्थी हरियाणा सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू सिविल सेवा नियमों व सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों व दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो सामाजिक अध्ययन अध्यापक के पद पर नियुक्ति लेंगे उनका चरित्र व पूर्ववृत सत्यापन, जो कि संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा।

16. उम्मीदवार अपने नाम के सामने अकिंत जिला शिक्षण एवम प्रशिक्षण संस्थान में अपनी हाजरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवम उन्हे 6 सप्ताह की अवधि के लिए सम्बधित संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है।

17. प्रशिक्षु उम्मीदवारो का वेतन सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अदा किया जायेगा।

18. उक्त उम्मीदवारों को स्कूल आबटंन के आदेश प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति उपरान्त दिया जायेगा।

अश्वनी कुमार
अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन
निदेशालय मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन कमांक सम दिनांक 3-12-12

आदेश की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1) महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़।

2) निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।

3) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा, पंचकुला।

4) सचिव, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला को उनके पत्र कमांक एच.एस.एस.सी. /गोपनीय/सिफारिश/2012/332 दिनांक 06.06.12 के संदर्भ में।

5) सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थी का आवेदन पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेज जो कि उसके द्वारा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को जमा करवाये गए थे, सत्यापन हेतु संलग्न किये जाते हैं व अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा सम्मिलित कराये गए दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं व अभ्यर्थी के पद के विभागीय सेवा नियमों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी शैक्षिक, अनुभव, निवास, आयु, श्रेणी/ जाति इत्यादि से संबंधित सही व पूर्ण दस्तावेज रखता है तथा तदनुसार वह पद धारण करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। यदि सत्यापन की प्रकिया के दौरान जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को यह मालूम होता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या झूठे या जाली हैं तो उसे इसका संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही निदेशालय के ध्यान में लाते हुए आरम्भ कर देनी चाहिए।

संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी लेंगे जो कि अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में रखा जाएगा। उनको यह भी आदेश दिया जाता है कि वह नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी का चरित्र व पूर्ववृत सत्यापन भी समयबद्ध ढंग से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में रखे जाएं। अभ्यर्थी की यह व्यक्तिगत पंजिका जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ही बनाई व रखी जाए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में नियुक्ति के लिए नहीं पहुँचते है उनकी सूचना जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निदेशालय को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर–अन्दर देना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सभी सामाजिक अध्ययन अध्यापको का चरित्र व पूर्ववृत को सत्यापन संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रकिया के इस अंग का विशेष ध्यान रखा जावे। यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध उसके चरित्र सत्यापन बारे गलत रिपोर्ट पाई जाती है तो सबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इस बारे तीन दिन के अन्दर–अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करेंगें।

6) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/मुख्य अध्यापक (संस्था अध्यक्ष) को इस निर्देश के साथ कि वह अभ्यर्थी को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में प्राप्त दिशानिर्देशों के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायेगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति की रपट को संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में लगाने हेतु भेजी जाएगी। अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका सेवा नियमों के अनुसार अच्छी प्रकार से तैयार कर ली जावे।

7) संबंधित अभ्यर्थी।

8) निजी सचिव/मुख्यमंत्री

9) निजी सचिव/ शिक्षा मंत्री

10) निजी सचिव/ वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा।

11) तकनीकी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (स्थानीय)

सहायक निदेशक, मास्टर
कृतेः निदेशालय मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला